रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 1973/आषाढ़ 15, 1895
No. 252] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 1973/ASADHA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G & Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th July 1973

S.O. 379(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Haryana for a period of six months with effect from 8th July, 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) विभाग (साविधिक नियम)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1973

सा० नि० 379(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-7-73 से 7-1-74 तक छह मास के लिए हरियाणा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[फा० सं० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू).]

S.O. 380(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for a period of six months with effect from 8th July, 1973, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 380(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-7-73 से 7-1-74 तक छह मास के लिये राजस्थान से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[फा० सं० 9/28/69-बी०एस० II (जी एण्ड क्यू).]

S.O. 381(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in West Bengal for a period of six months with effect from 8th July, 1973, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 381(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-7-73 से 7-1-74 तक छह मास के लिये वेस्ट बंगाल से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[फा० सं० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एण्ड क्यू).]

S.O. 382(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Bihar for a period of six months with effect from 17th July, 1973, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 382(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47) की धारा की उपधारा (i)के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 27-7-73 से 16-1-74 तक छह मास के लिए बिहार में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[फा० सं० 9/28/69-बी०एस०-II(जी एण्ड क्यू).]

S.O. 383(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Delhi, for a period of six months with effect from 23rd July, 1973, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 383(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-7-73 से 22-1-74 तक छह मास के लिये दिल्ली से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[फा० सं० 9/28/69-बी०एस०-II(जी एण्ड क्यू).]

S.O. 384(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Kerala for a period of six months with effect from 25th July, 1973, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 384 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25-7-73 से 24-1-74 तक छह मास के लिये केरला से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[फा० सं० 9/28/69-बी०एस०-II (जी एण्ड क्यू).]

S.O. 385(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya, for a period of six months with effect from 31st July, 1973, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

सा० नि० 385(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 31-7-73 से 30-1-74 तक छह मास के लिए मेघालय से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[फा० सं० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एण्ड क्यू).]

सी० जी० सोमिया, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973